विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–1/1092245/2025/3313/58–1–2025 (197687) बाल विकास एवं पुष्टाहार, अनुभाग लखनऊ, 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद अमरोहा के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना अमरोहा शहर, अमरोहा देहात, गंगेश्वरी, गजरौला, हसनपुर, धनौरा व जोया में आंगनबाडी कार्यकत्री के चयन हेतु मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत् विभागीय वेबसाईट **http://upanganwadibharti.in** पर पात्र महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन–पत्र आमन्त्रित किये जाते है। रिक्त पदों का विकास खण्ड/परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	आंगनबाड़ी कार्यकत्री के कुल स्वीकृत पदों का आरक्षण वार विवरण			
			सामान्य जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति/जनजाति	कुल पद
1	अमरोहा शहर	3	2	1	0	3
2	अमरोहा देहात	1	1	0	0	1
3	धनौरा	2	2	0	0	2
4	गजरौला	1	1	0	0	1
5	गंगेश्वरी	1	1	0	0	1
6	हसनपुर	2	1	0	1	2
7	जोया	2	1	0	1	2
योग		12	9	1	2	12

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देशः–

1–आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।

2–आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक–01.07.2025 को 18 वर्ष आयु होनी चाहिए/ आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।

3– उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।

4– विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मन्य होगी। तलाकसुदा/परित्यकता के सम्बन्ध में मा0उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।

5–गरीबी रेखा से नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं।

6–उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवनयापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

7–निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होगे जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

8–आय प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3959/1–9–11–रा0–9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

9–आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट **http://upanganwadibharti.in** पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही–सही सावधानीपूर्वक भरे जायेगें। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म किया गया होगा।

10–ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 25.11.2025 होगी।

11–रिक्त पदों का विस्तृत विवरण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर एवं विभागीय वेवसाइट **http://upanganwadibharti.in** पर देखा जा सकता है।

नोटः–रिक्तियों की संख्या घट–बढ सकती है।

(ज्ञान प्रकाश तिवारी)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
जनपद–अमरोहा।

कार्यालयः– जिला कार्यक्रम अधिकारी, अमरोहा ।

पत्रांक C-1454 /जि0का0अ0/चयन विज्ञप्ति/2025–26 दिनांक 04 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1–निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

Dpo Later 2023-24 Page 1033

2–जिलाधिकारी महोदया, जनपद–अमरोहा।
3–मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद–अमरोहा।
4–समस्त चयन समिति सदस्य, जनपद–अमरोहा।
5–समस्त उप जिलाधिकारी, अमरोहा।
6–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0), अमरोहा।
7–जिला सूचना अधिकारी, जनपद–अमरोहा को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने की कृपा करें।
8–सम्पादक, दैनिक समाचार, (राज्य स्तर पर) हिन्दुस्तान/(स्थानीय स्तर पर) दैनिक जागरण स्थानीय स्तर को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति निर्धारित शासकीय दरों पर प्रकाशित करते हुये बिल इस कार्यालय को अबिलम्ब प्रस्तुत करने की कृपा करें।
9–समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, जनपद–अमरोहा को इस निर्देश के साथ कि रिक्त केन्द्रों की विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का विवरण खण्ड विकास कार्यालय के सूचना पट पर एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करवाते हुये सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय अमरोहा में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
जनपद–अमरोहा ।